ID-154/17
DEPOL/R/17

Dy. No. 446 /RTI Cell/RB
Dated 14-08-17

DCP/RB	
ACP/HQ	
Branch	RTI
Dy. No.	7017
Date	21/8/17 11/8/17
Hd Clerk	

ज॰ सू॰ अ॰ मामला/त्वरित

कार्यालय उपायुक्त पुलिस एवं जन सुचना अधिकारी,

कार्यालय पता – आठवा तल, एम॰एस॰ओ॰ बिल्डिंग, पुलिस मुख्यालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

सं./चौबीस/29/विशेष/ID-4206/2017/ 29950-93 /ज॰सू॰अ॰ सैल/पुलिस मुख्यालय/दिनांक

सेवा में

समस्त जन सुचना अधिकारी,
दिल्ली पुलिस, दिल्ली/नई दिल्ली

विषय: डॉ. राम किशोर त्यागी, 517/D, गली न.5, विजय पार्क, दिल्ली-110053 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए दाखिल आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) में स्थानान्तरित करने के सन्दर्भ में ।

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 08.08.17 जो कि डॉ. राम किशोर त्यागी, 517/D, गली न.5, विजय पार्क, दिल्ली-110053 के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 08.08.17 को प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि इस पत्र की विषय वस्तु का संबंध आपके कार्यालय से है । इसलिए आवेदक के आर॰टी॰आई॰ आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के तहत आपको इस आशय से स्थानान्तरित की जा रही है कि आप अपने कार्यालय से सम्बंधित वांछित सूचना निर्धारित समय-अवधि के दौरान सीधे आवेदक को भेजने का कष्ट करेंगे । आवेदक ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित शुल्क 10/- रूपए वाया नकद/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 37F 982366 of Rs.10/- इस कार्यालय में जमा कर दिए हैं ।

यदि वांछित सूचना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो कृपया आवेदक के आवेदन पत्र को सबसे निकटतम सम्बंधित जन सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित कर दे ।

भवदीय,

[मीना नायडू]
सहायक जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस
फ़ोन-23762616 एक्स्ट.30079

संलग्न-यथाउपरोक्त

सं./चौबीस/29/विशेष/ID-4206/2017/ /ज॰सू॰अ॰ सैल/पुलिस मुख्यालय/दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. डॉ. राम किशोर त्यागी, 517/D, गली न.5, विजय पार्क, दिल्ली-110053 को सूचनार्थ व यदि आपको उपरोक्त जन सूचना अधिकारी से 30 दिन की समय-अवधि के अन्दर जवाब नहीं मिलता या आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो कृपया अपनी प्रथम अपील उसके प्रथम अपीलीय अधिकारी के सम्मुख दायर करें

2. लेखाकार/पुलिस मुख्यालय को भारतीय पोस्टल ऑर्डर उपरोक्त मूल्य 10/- के सहित सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

[मीना नायडू]
सहायक जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस
फ़ोन-23762616 एक्स्ट.30079

अति-आवश्यक / त्वरित- 21-08-2017
संख्या 769-770 /ज॰सू॰अ॰ प्रकोष्ठ /रा॰क॰ दिनांक 14-08-17
प्रति रूपप्रतिलिपि मु॰अ॰ दण्ड शाखा/रा॰क॰ व मु॰अ॰ सामान्य शाखा/रा॰क॰ को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि पूछे गए प्रश्नों का बिन्दुवार जवाब अतिशीघ्र सुनिश्चित करें, ताकि आवेदक को समय सीमा के अन्तर्गत जवाब दिया जा सके।

HAG 14/8/17
HAP-

इंचार्ज ज॰सू॰अ॰ प्रकोष्ठ,
रा॰क॰ दिल्ली

Received by hand on
08/08/17 at 01:10 PM

सेवा मे,

दिनांक : 08.08.2017

मानननीय जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, एम०एस०ओ० बिल्डिंग,
आई०पी० स्टेट, नई दिल्ली 110002

9630
डायरी संख्या........ जे०पु०अ०, पु०मु०, दिल्ली
दिनांक 08/08/17

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन।

मान्यवर,

निवेदन है कि आवेदक निम्नलिखित सूचना की जानकारी उपलब्ध कराई जाऐ। जो इस प्रकार है :-

(क). जिन पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को आपराधिक अभियाग के आरोप मे विभागीय जांच के उपरान्त, विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जा चुका था और ऐसे पुलिस कर्मी/अधिकारी जिस आपराधिक अभियोग के आरोप मे विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गऐ थे, अदालत द्वारा बरी किये जा चुके हैं, के सन्दर्भ मे निम्नलिखित सूचना दी जार्ऐः-

1. यह है कि ऐसे सभी दोषमुक्त पुलिस कर्मी/अधिकारी जिनको उनकी बर्खास्तगी की तारीख से reinstate किया गया है, पद, नाम, पी०आई०एस० न०., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, reinstate की तारीख एवम् आपराधिक अभियोग की प्रर्कति सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाऐ।
2. यह है कि ऐसे दोषमुक्त पुलिस कर्मी/अधिकारी, जिनको, उनकी बर्खास्तगी की तारीख से reinstate नही किया गया है, पद, नाम, पी०आई०एस० न०., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, reinstate की तारीख, आपराधिक अभियोग की प्रर्कति एवम् बर्खास्तगी की तारीख से reinstate न किये जाने का कारण व इसके सन्दर्भ मे नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाऐ।
3. यह है कि ऐसे दोषमुक्त पुलिस कर्मी/अधिकारी जिनको उनकी बर्खास्तगी की तारीख से reinstate नही किया गया है लेकिन पुनः सेवा मे ले लिया गया है। पद, नाम, पी०आई०एस० न०., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, पुनः सेवा मे लेने की तारीख, आपराधिक अभियोग की प्रर्कति एवम् बर्खास्तगी की तारीख से reinstate न किये जाने तथा पुनः सेवा मे लिऐ जाने का कारण व इसके सन्दर्भ मे नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाऐ।

(ख). यह है कि जिन पुलिस कर्मियों/अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अभियोग अदालत मे विचाराधीन है और ऐसे पुलिस कर्मी/अधिकारी विभाग मे सेवारत हैं। पद, नाम, पी०आई०एस० न०., तैनाती, आपराधिक अभियोग की तारीख एवम् धारा/प्रर्कति तथा सेवारत रहने का कारण व इसके सन्दर्भ मे नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाऐ।

(ग). यह है कि विभाग मे तैनाात पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतू प्रस्तुत चिकित्सा बिलों का सत्यापन/जाँच चिकित्सक द्वारा कराया जाता हैं, जिसमे पुलिस कर्मी ने उपचार कराया था। यदि इस सम्बन्ध मे विभाग अथवा CGHS विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन/आर्डर जारी किया है तो पिछले दस वर्ष की तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

(घ). यह है कि विभाग मे अधिनस्त कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतू प्रस्तुत चिकित्सा बिलों का सत्यापन/जाँच विभाग द्वारा कराया जाता हैं, जिसमे पुलिस कर्मी ने उपचार कराया था। यदि इस सम्बन्ध मे विभाग अथवा CGHS विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन/आर्डर जारी किया है, तो पिछले दस वर्ष की तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें

(निरन्तर अग्रिम पृष्ट पर)

(निरन्तर प्रथम पृष्ट से)

(ण). यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व मे जारीशुदा सूचना vide office memo no. –No./24/Spl/ID-4063/2012/31909/PIO Cell/PHQ/dated 10/09/2012. की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।

HAP

(च). यह है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम (दण्ड एवम् अपील) की धारा 11 एवं 12 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।

(छ). यह है कि दिल्ली पुलिस विभाग मे तैनात सिपाही द्वारा स्वयं अथवा आश्रित परिजनो द्वारा प्रतिपूर्ति हेतू प्रस्तुत चिकित्सा बिल फर्जी होने के सन्देह पर उपायुक्त पुलिस अधिकारी नियमानुसार किस नोटिफिकेशन/आर्डर/धारा अथवा अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक पद–पीजी सैल के अधिकारी द्वारा अस्पताल (जिसमे पुलिस कर्मी अथवा आश्रित ने उपचार कराया था।) सत्यापन/जाँच करा सकता है। इस सम्बन्ध मे जारी नोटिफिकेशन/आर्डर/अनुच्छेद अथवा अधिनियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

HAG

(ज). 1. यह है कि उपरोक्त सिपाही द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिल फर्जी होने के सन्देह पर उपायुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा निरीक्षक–पीजी सैल को दी गई जाँच मे अस्पताल (जिसमे पुलिस कर्मी अथवा आश्रित ने उपचार कराया था।) द्वारा सत्यापन रिपोर्ट मे उपरोक्त सिपाही द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिल, अस्पताल के रिकार्ड से मेल नही खाने (फर्जी पाऐ जाने) पर, उपायुक्त पुलिस अथवा उच्च अधिकारी की लिखित अनुमति/आदेश के बगैर, जांच अधिकारी–निरीक्षक–पीजी सैल सीधा पुलिस थाना जाकर स्वयं लिखित शिकायत देकर नियमानुसार उपरोक्त सिपाही के खिलाफ आपराधिक अभियोग दर्ज करा सकता है। यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध मे जारी नोटिफिकेशन/आर्डर/अनुच्छेद अथवा अधिनियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

2. यदि नही, तो किस अधिकारी को ऐसी दशा मे नियमानुसार उपरोक्त सिपाही के खिलाफ आपराधिक अभियोग दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है। इस सम्बन्ध मे जारी नोटिफिकेशन/आर्डर/अनुच्छेद अथवा अधिनियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

अतः श्रीमान जी से सानुरोध प्रार्थना है कि उपरोक्त सूचनां की प्रमाणित प्रति समय पर उपलब्ध कराने तथा रिकॉर्ड का निरीक्षण कराने की कृपा करें। नियमानुसार शुल्क अदा किया जाऐगा।

धन्यवाद।

आवेदक

डा0. राम किशोर त्यागी
517/डी, गली न0. 5,
विजय पार्क, दिल्ली . 53
मो0न0.–9968161721

नोटः– 10/– रूपवे का भा0पो0आ0 न0. 37 एफ 982366 साथ संलग्न है।

Copy Delivered to HAG →

HAP —